कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर–II

(प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2025–26)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2025–26 / सं. 67–68
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक एफ / के.वी.के. / मौलासर / फार्म / टेन्डर / 2025–26 / 59–60 दिनांकः–05.05.2025 निब कोड– **JAU2526A0013**
निविदा प्रपत्र शुल्क	200 / –रुपये रसीद संख्या ....दिनांकः–
निविदा वर्ष	2025–26
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ – 2025
अनुमानित लागत	5,00,000 रुपये
परिशिष्ट संख्या–एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या–दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	08.05.2025
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	22.05.2025 दोपहर 01.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	22.05.2025 दोपहर 02:00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर जिला–डीडवाना–कुचामन
पत्राचार हेतु पता	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला–डीडवाना–कुचामन 341506

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 22.05.2025 दोपहर 1:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी । धरोहर राशि रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि **वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर** के नाम से देय हो, जमा करायी जा सकती है।

संलग्नः– निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Maulasar Nagaur - II

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट --1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2025–26)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांक एफ/के.वी.के./मौलासर/फार्म/टेन्डर/2024–25/59–60 दिनांकः–05.05.2025 निब कोड-- **JAU2526A0013**
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2025 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ 2025
निविदादाता का नाम व पता	.... दूरभाष नं.............................. आधार नं..................................
धरोहर राशि का विवरण	रुपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार मात्र) (रोकड़/बैक ड्राफ्ट) रसीद सं. .... दिनांक....................... बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक......................... बैंक का नाम .... शाखा..........................

कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर के फार्म पर वर्ष 2025–26 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार मे दाना/बीज उपज में निविदादाता /ठेकेदार एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला--डीडवाना--कुचामन की हिस्सेदारीः--

क्र. सं	मौसम व वर्ष	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत मे)	कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर का हिस्सा (प्रतिशत मे)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर द्वारा क्रय करने पर औसत दर से देय भुगतान के अतिरिक्त राशि (बोनस 100 रुपये प्रति क्वि.)
1	खरीफ 2025			

हस्ताक्षर--निविदादाता (ठेकेदार)

निविदादाता का नाम.................................

पता.................. ....

....

आधार नं...

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट --2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1 निविदा सीलबन्द लिफाफे मे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला–डीडवाना–कुचामन के नाम से देय हो तथा निविदा लिफाफे पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 22.05.2025 दोपहर 01:00 बजे तक देय तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।

2 निविदा बॉलपाईंट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंको व शब्दो मे स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

3 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।

4 निविदा दरें वर्ष 2025--26 के लिए अनुमोदन के बाद उक्त समय अवधि के लिए मान्य होगी। कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला–डीडवाना–कुचामन के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित होता है।

5 निविदा के साथ 10,000/--(रूपये दस हजार मात्र) रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर के नाम देय हो, प्रस्तुत करे। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवम् समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। चैक के रुप मे धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

6 ट्रेक्टर संबंधी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे डीजल खर्च व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगें।

7 बुवाई हेतु बीज व खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा अर्थात बुवाई से फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों मे भरकर पैकिग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।

8 फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति मे फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा। परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।

9 बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं जैसे निराई--गुडाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

10 निराई--गुडाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।

11 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला–डीडवाना–कुचामन का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।

12 फसलो की रखवाली करने की, समय पर निराई--गुडाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान मे से काट लिया जायेगा।

13 ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पति (कृषि या अन्य) को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।

14 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।

15 फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से चारा आदि ले जाने दिया जायेगा। कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर के फार्म पर उपलब्ध घास, लूंग, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।

16 निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

17 निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना जाना करना होगा। किसी भी अंवाछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

18 हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर का होगा।

19 केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।

20 फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।

21 निविदादाता को वर्ष 2025-26 में बीजोत्पादन फसलों की कटाई, मडाई वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार उचित समय करनी होगी तथा खेती से प्राप्त उपज को साफ करके उक्त मौसमों की समय अवधि में समय पर केन्द्र में जमा करानी होगी।

22 फार्म में उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला-डीडवाना-कुचामन का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के पश्चात कुचामन कृषि उपज मंडी में रही अधिकतम की औसत दर या न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो उस मूल्य पर अतिरिक्त राशि (100 रुपये प्रति क्वि. बोनस) से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बीजोत्पादन हेतु कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की क्रय नीति लागू रहेगी। अन्यथा ठेकदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतन्त्र होगा।

23 केन्द्र के फार्म पर बीजोत्पादन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। इसमें केन्द्र कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

24 बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे पर पूरा हक ठेकेदार का होगा, केन्द्र उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन ठेकेदार इसको दाने की पैदावार जमा कराने के बाद ही ले जा सकेगा। फसलों की मडाई (थ्रेसिंग) के समय थ्रेसर के चारों तरफ व खलियान तथा डठलों में गिरा हुआ दाना व फलियों को साफ करके केन्द्र में जमा कराना होगा जिस पर केन्द्र का पूरा हक होगा, ठेकेदार का उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगा।

25 अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन मे लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

26 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, जिला-डीडवाना-कुचामन का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविधालय, जोधपुर के ऑर्बिट्रेशन मे प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

27 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र,मौलासर, जिला-डीडवाना-कुचामन के पास सुरक्षित रहेगा।

28 अनुबंधकर्ता को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प रूपए 500/- या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबंध) प्रस्तुत करना होगा।

29. इस निविदा में **Rajasthan Transparency Public Procurement Act, 2012 and RTPP Rules, 2013** के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे चाहे उन्हे निविदा में शामिल किया गया है अथवा नहीं।

मुझे निविदा की समस्त 29 शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ ।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक......................

निविदादाता का नाम...

पता...

....

आधार नं...

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

1
2
3
4

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Maulasar Nagaur - II

Scanned with CamScanner